भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1702
(जिसका उत्तर सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

स्टार्ट-अप्स के लिए नई विनियामक व्यवस्था

1702. श्री दयानिधि मारनः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री गौतम गंभीरः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक निश्चित आकार से अधिक वाले बड़े स्टार्ट-अप्स के लिए एक नई विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता की जांच कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) स्टार्ट-अप्स को उक्त नियामक व्यवस्था के अध्यधीन रखने के लिए उनके उपयुक्त आकार का निर्धारण करते समय सरकार द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार इन स्टार्ट-अप्स के लिए अभिशासन प्रणालियों को बढ़ाने और व्यापार में सुगमता बनाए रखने के बीच किस प्रकार संतुलन बनाने की योजना बना रही है;
(घ) क्या सरकार का विचार उक्त स्टार्ट-अप्स को कोई छूट या प्रोत्साहन देने का है ताकि वे स्वेच्छा से सुदृढ़ अभिशासन का प्रदर्शन कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार उक्त विनियामक व्यवस्था को विकसित करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों और स्टार्ट-अप संघों जैसे हितधारकों के साथ किस प्रकार सहयोग करेगी और देश में स्टार्ट-अप की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसका क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा;
(च) क्या सरकार ने इस संबंध में सलाह के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और संरचना क्या है; और
(छ) ऐसे पैनल द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और इससे देश में स्टार्ट-अप के माध्यम से व्यवसाय करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क), (ख) और (ग): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने सूचित किया है कि देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया जिसमें देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए परिकल्पित योजनाएं और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षा साझेदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य मद शामिल हैं।

विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा स्टार्टअप को पहचानने, विकसित करने और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जाते हैं ताकि वे निजी निवेश बढ़ाने में सक्षम हों। इस दिशा में निरंतर सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप 30 अप्रैल, 2023 तक 98,119 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

सरकार व्यापार करने में सुगमता लाने और अनुपालन बोझ को कम करने के तहत पहलों का भी नेतृत्व कर रही है, जिसका उद्देश्य अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना है। इन पहलों का उद्देश्य स्टार्टअप्स सहित अर्थव्यवस्था की सभी संस्थाओं/क्षेत्रों/उद्योगों को लाभ पहुंचाना है।

इन पहलों के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं:

i. आवेदनों, नवीकरण, निरीक्षण, फाइलिंग रिकॉर्ड आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
ii. अनावश्यक कानूनों को निरस्त करके, संशोधन करके या उन्हें शामिल करके युक्तिसंगत बनाना,
iii. मैनुअल प्ररूपों और रिकॉर्ड को समाप्त करते हुए ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर डिजिटलीकरण, और
iv. मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों का अपराधीकरण।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत में निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसायों द्वारा आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी की पहचान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक एकल मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का अनावरण किया है। एनएसडब्ल्यूएस विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सभी गवर्नमेंट टू बिजनेस (जी2बी) स्वीकृतियों के लिए आवेदन करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान कर रहा है और साथ ही एकल निवेशक प्रोफाइल के आधार पर विभिन्न अनुमोदनों में प्ररूप क्षेत्रों को ऑटो-पॉप्युलेट करके काम के दोहराव को समाप्त कर रहा है। विशेष रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, सरकार ने व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

(घ): 30 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किए गए 57 प्रमुख विनियामक सुधारों की सूची को निम्नलिखित लिंक : https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/parliament-questions-assurances/parliament-questions/lok-sabha.html पर देखा जा सकता है।

(ङ) से (छ): शून्य।

*****